वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

सा०/No. : 5-1(302)/2015-PD

दिनांक/Dated: 17.11.2017

प्रेषक / From :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों /मुख्यालय /कॉम्प्लेक्स /केन्द्रों /एककों के निदेशक /प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./ Instts. of CSIR Hqrs./Complex/Centres/Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किये गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance.

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं. / Office Memorandum No.	विषय / Subject
01	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/2/2009-स्था.घ दिनांक 09.10.2017 MoPPG&P, Deptt. of Personnel & Training OM No. 14014/2/2009-Estt.D dated 09.10.2017	अनुकम्पा आधार पर प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों को प्रदान किये गए पूर्व-संशोधित एस वेतनमान का सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (7 वें सीपीसी) में वेतन-निर्धारण के संबंध में । Fixation of the pre-revised pay scale of IS scale granted to candidates appointed as trainees on compassionate grounds in the 7th CPC – reg.

भवदीय/Yours faithfully

विनोद कुमार

(विनोद कुमार/ Vinod Kumar)
अवर सचिव (नीति प्रभाग)/ US(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

1) Head, IT Division with the request to make this Circular available on the website & Policy Repository.
2) कार्यालय प्रति/Office copy.

Phone: EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax: 91-11-23714788, Gram: CONSEARCH, NEW DELHI, E-mail: jsa@csir.res.in

No. 14014/2/2009-Estt.D
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel & Training)
*****

North Block, New Delhi
Dated the 09th October, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Fixation of the pay of the pre-revised pay scale of 1S scale granted to candidates appointed as trainees on compassionate grounds in the Seventh Central Pay Commission(7th CPC) – reg.

The undersigned is directed to invite attention to this Department's O.M.No.14014/02/2012-Estt(D) dated 16.01.2013 containing consolidated instructions on the subject of compassionate appointments. With regard to appointment of candidates not immediately meeting the educational standards as trainees these instructions provide as under:-

"In exceptional circumstances Government may consider recruiting persons not immediately meeting the minimum educational standards. Government may engage them as trainees who will be given the regular pay bands and grade pay only on acquiring the minimum qualification prescribed under the recruitment rules. The emoluments of these trainees, during the period of their training and before they are absorbed in the Government as employees, will be governed by the minimum of the –1S pay band Rs.4440-7440 without any grade pay. In addition, they will be granted all applicable Allowance, like Dearness Allowances, House Rent Allowance and Transport Allowance at the admissible rates. The same shall be calculated on the minimum -1S pay band without any grade pay. The period spent in the -1S pay band by the future recruits will not be counted as service for any purpose as their regular service will start only after they are placed in the pay band PB-1 of Rs.5200-20200 along with grade pay of Rs.1800."

2. The 7th CPC has not provided any replacement scale for 1S pay band of Rs.4440-7440 without any grade pay which is granted to trainees appointed under the scheme for compassionate appointment. The matter was taken up with the Department of Expenditure and it has now been decided by the Government that Level-1 of the Pay Matrix introduced on implementation of the 7th CPC Report be the replacement for the pre-revised-1S scale. The pay of those governed by the 1S scale may be revised by using the Fitment Factor of 2.57

for placement in Level-1 in conformity with the Rule 7 of the CCS (RP) Rules, 2016. All pre-revised pay stages lower than pre-revised pay of Rs.7,000 in the pre-revised 1S scale shall not be considered for determining the benefit of bunching, on the same lines as has been clarified by this Department's O.M dated 03.08.2017 on application of the benefit on account of bunching.

3. This will be effective from 01.01.2016.

4. Hindi version will follow.

G. Jayanthi
(G.Jayanthi)
Joint Secretary (E-I)

To

All Ministries/Departments of the Govt of India.

Copy to:

1. President's Secretariat, New Delhi
2. Vice-President's Secretariat, New Delhi
3. The Prime Minister's Office, New Delhi
4. Cabinet Secretariat, New Delhi
5. Rajya Sabha Secretariat/Lok Sabha Secretariat, New Delhi
6. The Registrar General, the Supreme Court of India, New Delhi
7. The Registrar, Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi
8. The Comptroller and Auditor General of India, New Delhi
9. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi
10. The Secretary, Staff Selection Commission, New Delhi
11. All attached offices under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
12. National Commission for Scheduled Castes, New Delhi
13. National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi
14. National Commission for OBCs, New Delhi
15. Secretary, National Council (JCM), 13, Ferozeshah Road, New Delhi
16. Establishment Officer & A.S.
17. All Officers and Sections in the Department of Personnel and Training
18. Facilitation Centre, DOP&T (20 copies)
19. NIC (DOP&T) for placing this Office Memorandum on the Website of DOP&T
20. Establishment Section (20 copies)

G. Jayanthi
(G.Jayanthi)
Joint Secretary (E-I)

सं. 14014/2/2009-स्था.घ

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 9 अक्तूबर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुकंपा आधार पर प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों को प्रदान किए गए पूर्व-संशोधित एस वेतनमान का सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग (7 वें सीपीसी) में वेतन-निर्धारण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 16.01.2013 के का.ज्ञा.सं. 14014/02/2012.स्था.(घ) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के विषय पर समेकित अनुदेश समाविष्ट हैं। ये अनुदेश ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में, जो प्रशिक्षुओं के शैक्षणिक मानकों को तत्काल पूरा नहीं करते है, निम्नलिखित रूप में प्रावधान करते हैं:-

"अपवादिक परिस्थितियों में सरकार, तत्काल न्यूनतम शैक्षिणिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले व्यक्तियों की भर्ती करने पर विचार कर सकती है। सरकार उन्हें प्रशिक्षु के रूप में लगा सकती है, जिन्हें भर्ती नियमों के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल कर लेने पर ही नियमित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन प्रदान किए जाएंगे। प्रशिक्षण अवधि के दौरान तथा सरकार में कर्मचारी के रूप में आमेलित होने से पूर्व, इन प्रशिक्षुओं की परिलब्धियां किसी ग्रेड वेतन के बिना 4440-7440 रूपए के 1 एस वेतन बैंड के न्यूनतम द्वारा अभिशासित की जाएंगी। इसके अलावा, उन्हें सभी लागू भत्ते जैसे- मंहगाई, भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता; स्वीकार्य दरों पर प्रदान किए जाएंगे। इनकी गणना, किसी ग्रेड वेतन के बिना न्यूनतम-1 एस वेतन बैंड पर की जाएगी। भविष्य में भर्ती किए जाने पर इन व्यक्तियों द्वारा 1 एस वेतन बैंड में व्यतीत की गई अवधि को किसी भी उद्देश्य हेतु सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनकी नियमित सेवा उन्हें 1800 रूपए के ग्रेड वेतन के साथ 5200-20200/-रुपए के वेतन बैंड पीबी-1 में रखे जाने के पश्चात् ही आरंभ होगी।"

2. सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम के अधीन नियुक्त हुए प्रशिक्षुओं को प्रदान किए गए किसी ग्रेड वेतन वाले 4440-7740/-रुपए के 1 एस वेतन बैंड के लिए किसी स्थानापन्न वेतनमान का प्रावधान नहीं किया है। इस मामले को व्यय विभाग के साथ उठाया गया था तथा सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन पर शुरू किए गए वेतन मैट्रिक्स का लेवल-1, संशोधन-पूर्व 1 एस वेतनमान का स्थानापन्न होगा। सीसीएस (आरपी) नियमावली, 2016 के नियम 7 के अनुरूप 1 एस वेतनमान द्वारा अभिशासित होने वाले कर्मचारियों के वेतन को लेवल-1 में रखने के लिए 2.57 के फिटमैंट फैक्टर (निर्धारण-कारक) का प्रयोग करते हुए संशोधित किया जाए। संशोधन-पूर्व 1 एस वेतनमान में 7000/- रुपए के संशोधन-पूर्व वेतन से कम सभी संशोधन-पूर्व वेतन स्तरों पर बंचिग (एक साथ करने) के लाभ का निर्धारण करने के लिए ठीक उसी तरह विचार नहीं किया जाएगा जैसे कि 'बंचिग'

(एक साथ करने) के कारण हुए लाभ के लागू होने पर इस विभाग के दिनांक 03.08.2017 के का.ज्ञा. द्वारा स्पष्ट किया गया है।

4. यह दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी होगा।

जी.जयंती

(जी.जंयती)
संयुक्त सचिव (ई-1)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रति प्रेषित:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
6. महापंजीयक, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली
7. पंजीयक, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली
8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली
9. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
10. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली
11. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन सभी संबंद्ध कार्यालय
12. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली
14. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली
15. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) 13 सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
16. स्थापना अधिकारी और अपर सचिव
17. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी और अनुभाग
18. सुविधा केंद्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रातियां)
19. एनआईसी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, इस कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डालने के लिए
20. स्थापना अधिकारी (20 प्रतियां)